भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1115**

दिनांक 09 मार्च, 2017 को उत्‍तर के लिए

**विधवा पेंशन देने के लिए आय संबंधी मानदंड**

**1115. श्री विशम्‍भर प्रसाद निषाद:**

 **चौधरी सुखराम सिंह यादव:**

 **श्रीमती छाया वर्मा :**

क्‍या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधवा को पेंशन देने पर विचार करने हेतु विधवा के परिवार में बालिग सदस्‍यों की आय का मानदंड राज्‍य-वार क्‍या है;

(ख) अगर विधवा के परिवार का बालिग सदस्‍य विधवा को गुजारा भत्‍ता नहीं देता है, तो क्‍या विधवा के आवेदन को स्‍वीकृति दी जा सकती है;

(ग) विधवा पेंशन की राशि का निर्धारण कब हुआ था और वर्तमान में महंगाई को देखते हुए इसमें संशोधन हेतु प्रस्‍तावों का ब्‍यौरा क्‍या है; और

(घ) विधवा की अपनी राय के आधार पर पेंशन मंजूर अथवा निरस्‍त करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्‍तर**

श्रीमती कृष्‍णा राज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के संघटक, के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों से संबंधित 40-79 वर्ष की आयु की विधवा को रू. 300/- प्रति माह की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत लाभार्थियों की पहचान, स्वीकृति और संवितरण राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है।

\*\*\*\*\*